द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मण्डल कार्यालय, नं. 6, तीसरी मंजिल,
सामनेः मेट्रो पिलर नंबरः 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110 005

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8(1)) के तहत जारी

कब्ज़ा–सूचना

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन(द्वितीय)अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत **द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18.10.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता (1) मैसर्स एयर कमांड इको कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 30 भूतल , सीएससी 1 डीडीए मार्केट सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली –110008 (2) श्रीमती प्रिया शर्मा, निवासी : डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली –110085 (3) श्री तिलक राज शर्मा निवासी डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली –110085, यहाँ भी : प्लॉट नं. 235, पॉकेट–डी, सेक्टर–1, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 को नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 84,47,208.26 (रुपए चौरासी लाख सैंतालीस हजार दो सौ आठ और पैसा छब्बीस मात्र)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को 20.02.2023 की स्थिति के अनुसार **रु.88,46,439.26 (रुपये अठासी लाख छियालीस हजार चार सौ उन्तालीस और पैसा छब्बीस मात्र)** और उस पर ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति 1: सेक्टर –3, रोहिणी, दिल्ली –110085 में स्थित डीडीए निर्मित इकाई / दुकान संख्या 21, मेजेनाइन के साथ भूतल (छत के अधिकार के साथ), 24.50 वर्ग मीटर की भूमि क्षेत्र। मेज. नाइन क्षेत्र की माप 21.88 वर्ग मीटर है, सीएससी नंबर 1 में दुकान का कुल कवर क्षेत्र 46. 38 वर्ग मीटर और इससे परिबद्ध हैः **पूर्वः इकाई/दुकान संख्या 26, पश्चिमः पियाजा, उत्तरः इकाई/दुकान संख्या 22 , दक्षिण : यूनिट/शॉप नंबर 20**

हस्ता/–
मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली
दिनांकः 21.02.2023

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मण्डल कार्यालय, नं. 6, तीसरी मंजिल,
सामनेः मेट्रो पिलर नंबरः 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110 005

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8(1)) के तहत जारी

कब्ज़ा–सूचना

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन(द्वितीय)अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत **द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18.10.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता (1) मैसर्स एयर कमांड इको कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 30 भूतल , सीएससी 1 डीडीए मार्केट सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली –110008 (2) श्रीमती प्रिया शर्मा, निवासी : डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली –110085 (3) श्री तिलक राज शर्मा निवासी डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली–110085, यहाँ भी : प्लॉट नं. 235, पॉकेट–डी, सेक्टर–1, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 को नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 84,47,208.26 (रुपए चौरासी लाख सैंतालीस हजार दो सौ आठ और पैसा छब्बीस मात्र)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को 20.02.2023 की स्थिति के अनुसार **रु. 88,46,439.26 (रुपये अठासी लाख छियालीस हजार चार सौ उन्तालीस और पैसा छब्बीस मात्र)** और उस पर ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति–2 : सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित डीडीए निर्मित इकाई / दुकान संख्या 30, मेजेनाइन के साथ भूतल (छत के अधिकार के साथ), 17.50 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र। मेज. नाइन क्षेत्र की माप 20.23 वर्ग मीटर है, सीएससी नंबर 1 में दुकान का कुल कवर्ड क्षेत्र 37. 73 वर्ग मीटर और इससे परिबद्ध हैः पूर्वः अन्य दुकान, पश्चिमः सामान्य मार्ग, उत्तरः मार्ग/सड़क दक्षिणः अन्य की दुकान।

हस्ता/–
मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली
दिनांकः 21.02.2023

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखाः संसद मार्ग, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001, ईमेलः PARLIAMENTSTREET@indianbank.co.in

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत इंडियन बैंक (ई–इलाहाबाद बैंक) शाखाः भूतल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.12.2022 जारी कर ऋणधारक/मार्टगैजर/गारंटरों, खाता–50042795982 में 1. श्री सुरेन्दर कुमार एवं श्री राजेन्दर प्रसाद, दोनो पुत्र श्री दया चंद (ऋणधारक एवं मार्टगैजर) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि आपके द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न साख सुविधाओं के संदर्भ में उस पर आगे के ब्याज तथा लागत के साथ रु. 16,94,760.00 (रु. सोलह लाख चौड़ानवे हजार सात सौ साठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहें, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 24.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज तथा लागत के साथ रु. 16,94,760.00 (रु. सोलह लाख चौड़ानवे हजार सात सौ साठ मात्र) के लिये इंडियन बैंक (ई–इलाहाबाद बैंक) शाखाः भूतल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

गोविन्दपुरी, कालकाजी, दिल्ली–110019 में स्थित खसरा नं. 600/93 में सम्पत्ति सं. 792–ए, गली नं. 7,(पुराना एमसीडी नं. 792/6), माप 41.80 वर्ग मी. (50 वर्ग याईस) के तीसरे तल के बाई ओर फ्लैट नं. 3–सी पर सम्पत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज।
चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति पश्चिमः 15 फीट चौड़ी गली
दक्षिणः प्लॉट नं. 791, उत्तरः प्लॉट नं. 793
हाइपोथेकेटेड/प्रभारित परिसम्पत्तियाँः निल

तिथिः 24.02.2023, स्थानः नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

अधोलिखित के लिये प्रतिः

ऋणधारक एवं मार्टगैजरः	**ऋणधारक एवं मार्टगैजरः**
सुरेन्दर कुमार, पुत्र श्री दया चंद, फ्लैट नं. 3सी, 3रा तल (लेफ्ट साइड), सम्पत्ति सं. 792–ए, गली नं. 7, गोविन्दपुरी, कालकाजी, दिल्ली–110019	श्री राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र श्री दया चंद, फ्लैट नं. 3सी, 3रा तल (लेफ्ट साइड), सम्पत्ति सं. 792–ए, गली नं. 7, गोविन्दपुरी, कालकाजी, दिल्ली–110019
साथ हीः 3) सुरेन्दर कुमार, पुत्र श्री दया चंद, मकान सं. 40/4, सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, सेक्टर–1, पुष्प विहार, एमबी रोड, वेलकॉम होटल के निकट, नई दिल्ली–110017	**गारंटरः** श्री रवि दत्त शर्मा, पुत्र श्री कृष्ण दत्त शर्मा, 35/206, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली–110091

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मण्डल कार्यालय, नं. 6, तीसरी मंजिल,
सामनेः मेट्रो पिलर नंबरः 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110 005

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8(1)) के तहत जारी

कब्ज़ा–सूचना

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन(द्वितीय)अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18.10.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता (1) मैसर्स एयर कमांड इको कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 30 भूतल , सीएससी 1 डीडीए मार्केट सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली –110008 (2) श्रीमती प्रिया शर्मा, निवासी : डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली –110085 (3) श्री तिलक राज शर्मा निवासी डी–236, डी ब्लॉक, फ्रंट जीएसएस स्कूल, सेक्टर 1, रोहिणी, दिल्ली –110085, यहाँ भी : प्लॉट नं. 235, पॉकेट–डी, सेक्टर–1, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 84,47,208.26 (रुपए चौरासी लाख सैंतालीस हजार दो सौ आठ और पैसा छब्बीस मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को 20.02.2023 की स्थिति के अनुसार रु.88,46,439.26 (रुपये अठासी लाख छियालीस हजार चार सौ उन्तालीस और पैसा छब्बीस मात्र) और उस पर ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति 3– भूखंड संख्या 235, पॉकेट–डी, सेक्टर –1, रोहिणी, नई दिल्ली –110085 में स्थित आवासीय भूमि और भवन, जिसका मापक्षेत्र : 31.69 वर्ग मीटर है।
पूर्वः खुला, पश्चिमः प्लॉट नंबर 234, उत्तरः प्लॉट नंबर 236, दक्षिणः रोड

हस्ता/–
मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली
दिनांकः 21.02.2023

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मण्डल कार्यालय, नं. 6, तीसरी मंजिल,
सामनेः मेट्रो पिलर नंबरः 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110 005

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8(1)) के तहत जारी

कब्ज़ा–सूचना

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन(द्वितीय)अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15.12.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता (1) मैसर्स सुरेश एंड कंपनी,इनका कार्यालयः 70/1/1 मंगोल. पुर कलां, मार्बल मार्केट, मंगोलपुरी, दिल्ली–110085 (2) श्री सुरेश चंद शर्मा (मैसर्स सुरेश एंड कंपनी के मालिक), पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासीः जीएच –5 और 7, फ्लैट नं. 1181, सेंट मार्क पब्लिक स्कूल के पास, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110087 इसके अलावा यहांः एच–240, भूतल , एलआईसी कॉलोनी, पश्चिम विहार नई दिल्ली – 110085, यहां भीः प्लॉट नंबर 69–सी 70–ए और 70–बी, केएच नंबर 2821/1901 और 2020/1901 मिन, ब्लॉक डी, पिलर नंबर 494 के पास , स्वर्ण पार्क मुंडका दिल्ली – 110041 (3) श्री आलोक कुमार शर्मा (गारंटर), निवासी :एच–240, एलआईसी कॉलोनी, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110085, यहां भीः प्लॉट नंबर 69–सी 70–ए और 70 –बी, केएच नंबर 2821/1901 और 2020/1901 मिन, ब्लॉक डी, पिलर नंबर 494 के पास, स्वर्ण पार्क मुंडका दिल्ली – 110041 को नोटिस में उल्लिखित राशि रु.1,88,94,325.43 (रुपए एक करोड़ अठासी लाख चौरानवे हजार तीन सौ पच्चीस और पैसा तैंतालीस मात्र)उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को रु.1,88,94,325.43 (रुपए एक करोड़ अठासी लाख चौरानवे हजार तीन सौ पच्चीस और पैसा तैंतालीस मात्र) और उस पर ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची–क	
संपत्ति की प्रकृति	वाणिज्यिक संपत्ति
सर्वे/गट/खसरा/खाता/खेवट/पट्टा नं.	खसरा संख्या 2821/1901,2820/1901मिन के बाहर फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति
प्लॉट/डूर /दुकान/बंगला नं.	संपत्ति संख्या 69–सी, 70–ए, 70–बी
विस्तार/कालीन क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र/	लागू नहीं
मंजिल संख्या	लागू नहीं
स्टेज/सेक्टर/वार्ड/ब्लॉक नं.	स्वर्ण पार्क के नाम चर्चित कालोनी में स्थित
भवन/सोसाइटी का नाम	ब्लॉक–डी,
गली का नाम/संख्या	लागू नहीं
गांव /शहर	ग्राम मुंडका, दिल्ली – 110041
तालुका/तहसील	लागू नहीं
ज़िला	लागू नहीं
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिल्ली
पिन कोड	110041
सीमाबद्ध	
उत्तर	: गली
दक्षिण	: दूसरों का प्लॉट
पर्व	: दूसरों का प्लॉट
पश्चिम	: गली

स्थान : दिल्ली
दिनांकः 18.02.2023
हस्ता/–
मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
मण्डल कार्यालय, नं. 6, तीसरी मंजिल,
सामनेः मेट्रो पिलर नंबरः 80, पूसा रोड,
करोलबाग, नई दिल्ली – 110 005

Karur Vysya Bank — Smart way to bank

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन, 2002 के नियम 8(1)) के तहत जारी

कब्ज़ा–सूचना

चूंकि,
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन(द्वितीय)अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.11.2022 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणकर्ता (1) मैसर्स सोलस्पूल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,पता : 307/9, दूसरी मंजिल, शहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र, शहज़ादा बाग, दिल्ली–110035, यहां भीः बी–4, प्लॉट नं. 18, पटवारी कॉलोनी, सुमित्रा टावर रोड, नंबर 14, जोडला पावर हाउस रोड जयपुर, राजस्थान, 302013 (2) श्री ओम प्रकाश मित्तल, निवासी 209, फर्स्ट मेन 60 रोड, शिव नगर, राजाजी नगर, बंगलौर, कर्नाटक–560010, यहां भीः 28 ए, एमआईजी, डीडीए फ्लैट, एसडीएम कोर्ट के पास, रामपुरा, दिल्ली–110035 (चूंकि मृतक का प्रतिनिधित्व कानूनी उत्तराधिकारी श्री संजीव मित्तल कर रहे हैं) श्री राज. श सैनी, निवासी 159, मोहल्ला बल्लूपुरा, वार्ड नं. 17, 2 नो चुंडी, उडेपुतवाटी रोड, खंडेला, सीकर, राजस्थान – 332709, यहां भी : 254, श्री राम नगर विस्तार, जयपुर, राजस्थान – 302012 , श्री हर्षित कुमार गोयल, निवासी :8/36, भूतल, रमेश नगर, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली–110015 ,यहां भीः वारते नेक्स्टजेन फिनसेक एडवाइजर्स पीवी, 235 अपर ग्राउंड फ्लोर, अनार काली कॉम्प्लेक्स, झंडेवाला, दिल्ली, नई दिल्ली–110005, यहां भीः वास्ते 307, तीसरी मंजिल , राज चैंबर, नैवाला बैंक , स्ट्रीट फैज़ रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 इसके अलावाःनिवासी :94, मोहल्ला बल्लूपुरा, मुंद्रो का मोहल्ला, सीकर खंडेला, सीकर, राजस्थान–332709, श्री अंकित कुमार, निवासी : 102, शिव कृपा अपार्टमेंट, निकट एन के पब्लिक स्कूल, आर्य नगर, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान – 302039, यहाँ पर भीः 93, मोहल्ला बल्लूपुरा, मुंद्रो का मोहल्ला, सीकर खंडेला, सीकर, राजस्थान–332709 से नोटिस में उल्लिखित राशि **रु. 31,82,561.86 (रुपये इकतीस लाख बयासी हजार पांच सौ इकसठ और पैसा छियानसी मात्र)** को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।
ऋणकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहा है। ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 फरवरी 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को 20.02.2023 तक **रु.32,70,334.86 (रुपये बत्तीस लाख सत्तर हजार तीन सौ चौंतीस और पैसा छियासी मात्र)** और उस पर ब्याज की राशि के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति की प्रकृति	आवासीय संपत्ति
सर्वे/गट/खसरा/खाता/खेवट/पट्टा नं.	फ्लैट सं.28ए, पॉकेट सी
प्लॉट/डूर/दुकान/बंगला नं.	फ्लैट सं.28ए,
विस्तार/कालीन क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र/	840 वर्गफुट
मंजिल संख्या	भूतल
स्टेज/सेक्टर/वार्ड/ब्लॉक नं.	......
भवन/सोसाइटी का नाम	रामा पुरा
गली का नाम/संख्या	रामा पुरा
गांव/शहर	रामा पुरा, नई दिल्ली
तालुका/तहसील	रामा पुरा, नई दिल्ली
ज़िला	नई दिल्ली
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दिल्ली
पिन कोड	110035
सीमाबद्ध उत्तर	अन्य फ्लैट
दक्षिण	सड़क/पार्क
पूर्व	फ्लैट नंबर 29–ए
पश्चिम	फ्लैट नंबर 27–ए

स्थान : दिल्ली
दिनांकः 21.02.2023
हस्ता/–
मुख्य प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी
द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.
IndiaShelter Home Loans
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट–15, 6ठा तल, सेक–44, इंस्टीच्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालयः शॉप नं.–06, ऊपरी भूतल, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा, उ.प्र.–282002

शुद्धिपत्र

कृपया इस समाचार पत्र में 26 फरवरी, 2023 को प्रकाशित अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये नीलामी सूचना में ऋणधारक/सह–ऋणधारकः दया जयरथ, पत्नी स्व. रविन्द्र कुमार जयरथ'' देखें। नीलामी की तिथि अनजाने में 23 मार्च, 2023 वर्णित हो गई है जिसे 30 मार्च, 2023 पढ़ें। शेष विवरण पूर्ववत रहेंगे।
तिथिः 28.2.2023
स्थानः आगरा (प्राधिकृत अधिकारी)
इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

यूनियन बैंक Union Bank of India

संपत्ति वसूली शाखाः 26/28–डी, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 (एम–35,पहली मंजिल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में कार्यरत)
ईमेलः arbdelhi@unionbankofindia.bank

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 24.02.2023 को अंग्रेजी समाचार पत्र– 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 21) और हिंदी समाचार पत्र– 'जनसत्ता' (पेज नं. 18) क्रमांक 18 पर **[श्री मनीष भारद्वाज** के ऋण खाते में] की सम्पत्ति का माप 92 वर्ग फुट के स्थान पर **92 वर्ग गज** पढ़ें। शेष ई–नीलामी सूचना यथावत रहेगी।
प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः **27.02.2023** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कर्णाटका बैंक

सम्पूर्ण भारत में, आपका पारिवारिक बैंक
प्रधान कार्यालयः मंगलुरु–575002 CIN: L85110KA1924PLC001128
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 8–बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060
फोनः 011–40591567 (एक्स्टेः 240) मो. 9319891680
ईमेलः delhiarm@ktkbank.com
वेबसाईटः www.karnatakabank.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना
एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 29.12.2021 को सांकेतिक कब्जा किया गया है की अधोलिखित
क) 1) मै. अरिहन्त ट्रेडिंग एंड मेटल इंडस्ट्रीज, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राइटर–श्री श्रृजण जैन पताः 340–ए/13 एवं 13ए, गली नं.–1ए, फ्रैण्ड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, मैन जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095, साथ हीः एच. नं. 30, गगन विहार एक्स्टेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली–110051 2) श्रीमती सरोज जैन, पत्नी श्री गिरीश चन्द जैन, 3) श्री शैलेन्द्र जैन, पुत्र श्री गिरीश चन्द जैन, दोनों (2) एवं (3) निवासीः एच. नं. 30, गगन विहार एक्स्टेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली–110051, जो ऋणधारक/गारंटर/सह–देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., सविता विहार शाखा, प्लॉट नं. 13, साई मंदिर के निकट, मैन रोड, सविता विहार, दिल्ली–110092, प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाये रु. 2,11,04,380.39 (रु. दो करोड़ ग्यारह लाख चार हजार तीन सौ अस्सी तथा पैसे उन्तालिस मात्र) अर्थात् i) 01.02.2022 से आगे के ब्याज के साथ पीएस ओवर ड्राफ्ट खाता नं. 5447000600111001 के अंतर्गत रु. 1,76,13,849.86, ii) 13.2.2022 से आगे के ब्याज के साथ पीएस–डीपीएन खाता सं. 5447001400063101 के अंतर्गत रु. 2,50,662.34, iii) 01.02.2022 से आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ पीएस–सावधि ऋण खाता सं. 5447001800039601 के अंतर्गत रु. 32,39,868.19
ख) 1) मै. कॉपर हाउस, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राइट– श्री शैलेन्द्र जैन, पताः 1/342–1ए, गली नं.–1, प्रथम् तल फ्रैन्ड्स कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–110095, साथ हीः एच. नं. 30, गगन विहार एक्स्टेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली–110051 2) श्रीमती सरोज जैन, पत्नी श्री गिरीश चन्द्र जैन, 3) श्री श्रृजण, पुत्र श्री गिरीश चन्द्र जैन, दोनों (2) एवं (3) निवासीः एच. नं. 30, गगन विहार एक्स्टेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली–110051, जो ऋणधारक/गारंटर/सह–देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., सविता विहार शाखा, प्लॉट नं. 13, साई मंदिर के निकट, मैन रोड, सविता विहार, दिल्ली–110092, प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाये रु. 1,81,32,177.65 (रु. एक करोड़ इक्यासी लाख बत्तीस हजार एक सौ सतहत्तर एवं पैसे पैंसठ मात्र) अर्थात् i) 01.05.2022 से आगे के ब्याज के साथ पीएस–ओवरड्राफ्ट खाता सं. 5447000600111101 के अंतर्गत रु. 1,52,25,147, ii) 13.4.2022 से आगे के ब्याज के साथ पीडीपीएन खाता सं. 54470014000630001 के अंतर्गत रु. 51,326.49, iii) 01.05.2022 से आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ पीएस–सावधि ऋण खाता सं. 5447001800039401 के अंतर्गत रु. 28,55,704.16 की वसूली के लिये 21.3.2023 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती सरोज जैन के स्वामित्व में खुरेजी खास, दिल्ली–110051 के क्षेत्र में गगन विहार एक्स्टेंशन की आबादी में स्थित खसरा नम्बर 29/25, 33/10, 33/1, 33/2, 34/5 36/6, 30/22 तथा 30/21 में आवासीय सम्पत्ति संख्या 30ए, ईस्टर्न साइड का भाग, माप 100 वर्ग याईस का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः
पूर्वः प्लॉट नं. 31, **पश्चिमः** प्लॉट नं. 30 का भाग
उत्तरः 25 फीट चौड़ा रोड एवं प्रवेश, **दक्षिणः** सर्विस लेन
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी रु. 2,51,00,000.00 (रु. दो करोड़ इक्यावन लाख मात्र)
जमा/भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 25,10,000.00 (रु. पच्चीस लाख दस हजार मात्र)
(ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)
(इस सूचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिये प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली–2002 के नियम (9) के उप–नियम (1) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाये।)
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् **www.karnatakbank.com** पर शीर्ष ''बिक्री के लिये गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें।
ई–नीलामी का संचालन 21.3.2023 **को** 11.30 **बजे पूर्वा. से** 12.30 **बजे अप.** तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः **https://bankauctions.in** पर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता को **https://bankauctions.in** पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा **मै. 4 क्लोजर**, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, सम्पर्क नं. 040–23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेलः info@bankauctions.in से ई–नीलामी (अनुमानतः 20.3.2023 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
स्थानः नई दिल्ली कर्णाटका बैंक लि. के लिये
तिथिः 27.2.2023 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

कर्नाटक बैंक लिमिटेड

आपका पारिवारिक बैंक। पूरे भारत में
प्रधान कार्यालयः मंगलुरु–575002 CIN: L85110KA1924PLC001128
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा 8–बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060,
फोनः 011–40591567 (एक्स्टेंः240) मो. 9319891680
ईमेलः delhiarm@ktkbank.com
वेबसाईटः www.karnatakabank.com

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई–नीलामी बिक्री सूचना
एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 21.12.2022 को सांकेतिक कब्जा किया गया है की अधोलिखित 1) मैं. वशिष्ठ फार्मास्यूटिकल्स, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पास श्री प्रवीश शर्मा, पता खसरा नं. 969, (1–12), भूतल, वीपीओ राइताला, दिल्ली–110085. 2) श्री प्रवीण शर्मा, पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, 3) श्रीमती श्यामो देवी पत्नी श्री आर.एस. शर्मा, 4) श्रीमती परमजीत कौर, पत्नी स्व. श्री जसपाल सिंह, पता : 150, पंजाब कॉलोनी नरेला, दिल्ली–110040, 5) श्रीमती ममता शर्मा, पत्नी श्री प्रवीण शर्मा, सभी (2), (3) एवं (5) का पताः गली नं. 15 सी, स्वतंत्र नगर एक्स्टेंशन, नरेला, दिल्ली–110040 है, जो ऋणधारक/गारंटर्स/सह–देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लि., रोहिणी शाखा, प्लॉट नं. 6, अगरवाल सेन्ट्रल प्लाजा, प्रथम तल, कम्युनिटी सेन्टर, डीसी चौक, सेन्टर–9, रोहिणी, दिल्ली, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 4,58,55,389.84 (रु चार करोड़ अन्ठावन लाख पचपन हजार तीन सौ नवासी एवं पैसे चौड़ासी मात्र) अर्थात i) (01.02.2023 से आगे के ब्याज के साथ पीएसओडी खाता नं 549700060006001 के अंतर्गत रु. 3,86,52,580.46, ii) 01.02.2023 से आगे के ब्याज के साथ पीएसटीएल खाता नं. 5497001800016001 के अंतर्गत रु. 72,02,809.38 की वसूली के लिए 31.03.2023 को जैसा है जहाँ है"," जो भी जैसा है'' तथा "जो कुछ भी वहां है' आधार पर बिक्री की जाएगी।

अचल सम्पति का विवरण

1. श्री प्रवीण शर्मा एवं श्रीमती ममता शर्मा के स्वामित्व के ''स्वतंत्र नगर'' पार्ट–II के नाम से विदित कॉलोनी, गली नं. 15–सी, नरेला में खसरा नं. 52/18 में ग्राम नरेला के क्षेत्र में स्थित प्लॉट नं. 6/1 माप 95 वर्ग याईस पर निर्मित आवासीय फ्री होल्ड सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दी :
पूर्व : राम सिंह की सम्मत्ति, पश्चिम : सुरेन्द्र सिंह की सम्पत्ति
उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रोड एवं प्रवेश
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगीः रु. 42,90,000.00 रु–बयालिस लाख नव्वे हजार मात्र)
जमा/टेण्डर की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 4,29,000.00 (रु. चार लाख उन्नतीस हजार मात्र)
2. श्रीमती श्यामो देवी के स्वामित्व में ग्राम नरेला, , अब स्वतंत्र नगर एक्स्टें. विदित, गली नं. 15 सी, नरेला, दिल्ली–40 में प्लॉट माप 102.34 वर्ग याईस तथा उस पर निर्मित भवन के साथ 115.00 वर्ग याईस में स्थित खसरा नं. 52/18 तथा 52/19 में आवासीय सम्पत्ति, प्लॉट नं. सीएन–1880 तथा प्लॉट नं.13 का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः
पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति,
उत्तरः गली, दक्षिण : श्री करतार सिंह की सम्पत्ति
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगीः रु. 1,06,17,000.00 रु–(एक करोड़ छः लाख सत्तरह हजार मात्र)
जमा/टेण्डर की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 10,61,700.00 (रु. दस लाख इकसठ हजार सात सौ मात्र)
3. श्रीमती परमजीत कौर के स्वामित्व में मकान सं. 150, पंजाबी बाग, नरेला, नई दिल्ली –110040 में स्थित सम्पूर्ण प्रथम तल तथा सम्पूर्ण दूसरे तल, कुल भूमि माप 100 वर्ग याड्स (83.67 वर्ग मी) के साथ शामिल आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी रु. 85,86,000.00 (रु. पचासी लाख छियासी हजार मात्र)
जमा/भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 8,58,600.00 (रु. आठ लाख अन्ठावन हजार छः सौ मात्र)
(ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)
(इस सूचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिये प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली–2002 के नियम (8) के उप–नियम (6) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाये।)
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् **www.karnatakbank.com** पर शीर्ष ''बिक्री के लिये गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें।
ई–नीलामी का संचालन 31.03.2023 **को** 11.30 **बजे पूर्वा. से** 12.30 **बजे अप.** तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः **https://bankauctions.in** पर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता को **https://bankauctions.in** पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा **मै. 4 क्लोजर**, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, सम्पर्क नं. 040–23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेलः info@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई–नीलामी (अनुमानतः 30.03.2023 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
स्थानः रोहिणी कर्णाटका बैंक लि. के लिये
तिथिः 27.02.2023 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

POONAWALLA HOUSING FINANCE — Apna Ghar, Apni Pehchan

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे–411036
शाखा कार्यालय इकाई : 8, संत नगर, नई दिल्ली–110065

ई–नीलामी विक्रय सूचना

ई–नीलामी विक्रय सूचना, सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय

एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियां अब निगमीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. ('पीएचएफएल') के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका अधिग्रहण सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया था। अब इन्हें निम्न वर्णित नियमों के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विक्रय प्रयोज्य ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि के साथ पीएचएफएल की बकाया देय राशियों की वसूली के लिये किया जायेगा। निम्न वर्णित संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत ''जैसी हैं जहां हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथा बिना उपाय आधार'' पर बेचा जा रहा है :
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	धराज (आरपी की 10%)	धराज जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आइ)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/ न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
ऋण सं.: HF/0399/H/19/ 100532 मनीष पुरी (उधारकर्ता) साधना पुरी (सह–उधारकर्ता) क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पूछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें	सूचना तिथिः 25.08.2022 कुल देयराशिः रु. 27,03,183.14/– (रुपये सत्ताईस लाख तीन हजार एक सौ तिरासी एवं चौदह पैसे मात्र) जो 25.08.2022 के अनुसार 12.00 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित भुगतानयोग्य है	भौतिक	बंधककृत संपत्ति फ्लैट सं. सी–001 के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 90 वर्ग गज है जो 3 बीएचके से समाविष्ट, ऊपरी भू तल (आगे की ओर), संपत्ति सं. ए–1/3, खसरा सं. 488/1 में से, ग्राम मोलारबंद बदरपुर, तहसील कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित है, परिसीमायें: पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 22. 11.2019 के अनुसारः पश्चिम– सड़क, पूर्व– संपत्ति गौरव वर्मा, उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण– सड़क।	रु. 2835000/– (रुपए अट्ठाईस लाख पैंतीस हजार मात्र)	(एफ) रु. 283500/– (रुपए दो लाख तिरासी हजार पांच सौ मात्र)	06.04.2023 को 5 बजे से पूर्व	रु. 10,000/–	03.04.2023 को (11 बजे–4 बजे)	07.04.2023 को (11 बजे–2 बजे)	शून्य

क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पूछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पीएचएफएल शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, जो संपत्ति से जुड़ा हो, को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अपेक्षित है कि वे निम्न वर्णित नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सेन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता– रु 203, द्वितीय तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 व 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम 122 006 (संपर्क नं.: 91 93100 29933/91 98100 29926/91 124 4 233 933), संपर्क क्लाइंट सर्विस डिलीवरी (सीएसडी) सेल नं. (मो.) 91 93100 29933/91 98100 29926 (दूर.) 91 124 4 233 933, ईमेल आईडी : CSD@DisposalHub.Com के वेब पोर्टल https://DisposalHub.Com पर ई–बोलीदान और ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वयं को अनिवार्य रूप में पंजीकृत कर लें तथा अग्रिम रूप में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को 06/04/2023 तक 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित बयाना जमा (ईएमडी) की राशि खाता संख्या 000651000460, आईएफएससी कोड ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001 में जमा करनी होगी। और वेब पोर्टल पंजीकरण के उपरांत इच्छुक बोलीदाता/खरीदार से अपेक्षा है कि अपलोडकृत, ई–मेलकृत बोली प्रलेखों की प्रतियां प्राप्त करें तथा उन्हें स्वयं–प्रमाणित करके प्राधिकृत अधिकारी, श्री वीरेंद्र सिंह, पता–8 संत नगर, नई दिल्ली 110065 मोबाइल नं. 919643514836, ई–मेल आईडी birander.singh@poonawallahousing.com को भेजें।
स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28–02–2023
प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए
सार्वजनिक कम्पनी का प्राईवेट कम्पनी में रूपांतरण के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
मै. जेनिथ वेल्डएड्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी 164, बुलन्दशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001 में है के मामले में
.......**आवेदक**
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावी के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 23 फरवरी, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते बी–2 विंग पर्यावरण, भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः
आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से कृते जेनिथ वेल्डएड्स लिमिटेड
हस्ता./–
प्रतीक त्यागी
निदेशक
DIN: 02912571
सी 164, बुलन्दशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.–201001
तिथिः 27.02.2023
स्थानः गाजियाबाद

केनरा बैंक Canara Bank

शाखा : वजीरपुर शाखा (0387)
ईमेल : cb0387@canarabank.com

ऋणधारकों को सूचना

रेफ : 0387 : सरफैसी : 2022 तिथि : 24.2.2023

रीता बंसल	**रूपेश बंसल**
मकान सं 30 साउथ अनारकली, मैन बाजार रोड, शाहदरा दिल्ली	मकान सं 30 साउथ अनारकली, मैन बाजार रोड, शाहदरा दिल्ली
फ्लैट नं. 70 एसएफएस फ्लेट्स शक्ति अपार्टमेन्ट्स, अशोक विहार फेज–III, दिल्ली–110052	फ्लैट नं. 70 एसएफएस फ्लेट्स शक्ति अपार्टमेन्ट्स, अशोक विहार फेज–III, दिल्ली–110052

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद ''अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.12.2022 जारी कर ऋणधारक श्रीमती रीता बंसल तथा श्री रूपेश बंसल को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 12497135 (रु. एक करोड़ चौबीस लाख संतानवे हजार एक सौ पैंतीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 24 फरवरी, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 12497135 तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रीता बंसल तथा श्री रूपेश बंसल के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति मकान सं. 30, साउथ अनारकली, मैन बाजार रोड, शाहदरा, दिल्ली का ईएमटी।
चौहद्दी : उत्तर : 20 फीट चौड़ा रोड़, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति
पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : 15' चौड़ी गली
तिथिः 27.2.2023, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक — pnb — punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल सस्त्र कार्यालयः अलीगढ़; कार्यालय पताः साई विहार, मदन पैलेस के सामने, ग्राम तलासपुर कलान, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 ई–मेलः cs8183@pnb.co.in

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना की तिथि/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक/गारंटर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

क्र सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	संलग्न सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि को बकाया राशि
1.	बी/ओ कृष्णा नगर मथुरा	श्री राम कुमार पाण्डेय, पुत्र राधा रमण पाण्डेय पुत्र राम कुमार पाण्डेय	1) श्रीमती शकुन्तला, पत्नी राम कुमार पाण्डेय के नाम में शास्त्री नगर, तहसील एवं जिला मथुरा (उ.प्र.) के भीतर, मौजा मथुरा बांगर में स्थित प्लॉट नं. 3 एवं 4 वाटर रेट नं. 205/246, नया नं. 205/331 के भाग में आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज जिसका क्षेत्रफल 66.89 वर्ग मी.है, जिसकी चौहद्दीः (टाइटल डीड के अनुसार इस प्रकार हैः ई–मंदिर जहरवीर बाबा, डब्ल्यूः राम कुमार का मकान, एनः 15 फीट चौड़ा रास्ता, एस–रामबाबू एवं रामदेव की सम्पत्ति 2) राम कुमार, पुत्र राधा रमण के नाम में शास्त्री नगर, तहसील एवं जिला मथुरा (उ.प्र.) के भीतर, मौजा मथुरा बांगर में स्थित प्लॉट नं. 3 एवं 4 वाटर रेट नं. 205/246, नया नं. 205/331 के भाग में आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज जिसका क्षेत्रफल 16.72 वर्ग मी. है जिसकी चौहद्दी (टाइटल डीड के अनुसार) इस प्रकार हैः ई–राम कुमार का मकान, डब्ल्यूः चन्द्रभान के मकान का भाग, एनः 15 फीट चौड़ा रास्ता, एस–रामबाबू आदि का मकान।	26.09.2022	24.02.2023	रु. 2086635.74 (बीस लाख छियासी हजार छः सौ पैंतीस एवं पैसे चौहत्तर मात्र) + 01.02.2023 से ब्याज

तिथिः 27.02.2023, स्थानः अलीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक–प्रतिभूति क्रेडिटर

www.readwhere.com